जयपुर में 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी की 700 से अधिक फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां जब्त

प्रताप नगर पुलिस ने दो ई-मित्र सेंटरों पर छापेमारी कर इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रताप नगर इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी की 700 से ज्यादा मार्कशीट और डिग्रियां दो ई-मित्र की दुकानों से जब्त की हैं। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के अनुसार यह डिग्रियां बिना परीक्षा लिए और बिना क्लास अटेंड किए फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी की मिलीभगत से दलालों के जरिए दी जा रही थीं। ई-मित्र सेंटर से जब्त की गई डिग्रियां कई नामी यूनिवर्सिटी की हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 29 फर्जी किरायानामा,12 चेक बुक, 14 बैंक पास बुक, 13 डेबिट-क्रेडिट कार्ड, पेटीएम मशीन, कैमरा, सात मोबाइल और 97 शपथ पत्र सहित अन्य सामान जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जो कि जांच पड़ताल में जुटी है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) तेजस्वनी गौतम शुक्रवार को प्रेस से रूबरू हुई।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) तेजस्वनी गौतम ने बताया कि प्रताप नगर इलाके में कई यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों की संदिग्ध मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ ई-मित्र संचालकों के द्वारा बनाई और बेचे जाने की जानकारी पुलिस को लगी थी। इस पर पुलिस टीम गठित कर प्रताप नगर में दो ई-मित्र संचालकों की दुकानों में छापेमारी की गई। जिस पर पुलिस टीम को संदिग्ध डिग्री मिलने के साथ-साथ कई फर्जी स्टाम्प भी मिले। इनमें बच्चों के नाम से किराए नामे भी बने हुए थे। इसके साथ ही विकास मिश्रा (39) निवासी पटना

- **फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी की मिलीभगत से दलालों के जरिए दी जा रही थी फर्जी डिग्रियां**

(बिहार) हाल प्रताप नगर, सत्यनारायण शर्मा (32) निवासी सांगानेर स्थित और विकास अग्रवाल (35) निवासी कोटपुतली बहरोड़ को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) ने बताया कि पहली कार्रवाई प्रताप नगर सेक्टर 8 यूनिक एजुकेशन कंसल्टेंट में की गई। यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विकास मिश्रा से 18 यूनिवर्सिटी के दस्तावेज मिले। आरोपी विकास से जानकारी में सामने आया है कि उसका एक और ऑफिस है। जो सेक्टर-8 एसएसआईटी सेंटर मेन मार्केट प्रताप नगर में है। यहां से पुलिस ने सत्यनारायण और विकास अग्रवाल को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में डिग्रियां, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, किराएनामे, चेक बुक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिलने पर दो एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) तेजस्वनी गौतम ने बताया कि ई-मित्र की आड़ में बेरोजगार युवाओं को प्रलोभन देकर बिना परीक्षा लिए और बिना क्लास अटेंड किए फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिली भगत करके डिग्रियां दलालों के माध्यम से दी जा रहीं थी। इसके बदले मोटा पैसा लिया जा रहा था।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान डिग्रियों के अलावा 29 किरायानामा, 12 चैक बुक, 97 शपथ पत्र, 14 बैंक पास बुक, 13 डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के आईडी कार्ड, 7 मोबाइल, 1 पेटीएम मशीन, 2 डीवीआर, 1 पावर सप्लाई केस, 1 कैमरा डिजीटल, 1 राउटर, 1 सीपीयू इंटेल कंपनी, 1 मॉनिटर लेनोवो कंपनी, 2 लैपटॉप, 2 पेन ड्राइव, 1 प्रिंटर जब्त किया गया। पुलिस पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे होने की संभावना है।

मृत कर्मचारी के आश्रितों को बकाया फैमिली पेंशन देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे की ओर से मृत कर्मचारी के आश्रितों को फैमिली पेंशन की बकाया राशि नहीं देने पर रेलवे प्रशासन पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को पेंशन राशि देने को कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश लीला देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रक्रिया की खामियों के कारण किसी के मौलिक अधिकारों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पीडित व्यक्ति अशिक्षित हो। अदालत ने कहा कि जिन मामलों में पीडित व्यक्ति अशिक्षित है या उसे कानूनी औपचारिकताओं के बारे में जानकारी नहीं है, उनमें संबंधित व्यक्ति को कानून की तकनीकी जटिलताओं का शिकार नहीं बनाया जा सकता। याचिका में अधिवक्ता वेंकटेश गर्ग ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पति रामलाल रेलवे में साल 1965 में बाइंडर के पद पर नियुक्त हुआ था। करीब 27 साल की सेवा के बाद उसने 31 मई 1992 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वहीं दिसंबर, 2008 को उसके पति का निधन हो गया। याचिकाकर्ता के अनपढ होने के कारण उसे फैमिली पेंशन की जानकारी नहीं थी। ऐसे में इस प्रावधान की जानकारी मिलने पर उसने वर्ष 2012 में फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया, जिसे रेलवे ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए पत्र में वह मृतक की नॉमिनी नहीं है। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति ने वर्ष 1977 में रेलवे कर्मचारी बीमा योजना में याचिकाकर्ता और उसकी दोनों बेटियों को नॉमिनी दर्शाया गया था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद उसे आंशिक भुगतान भी किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को बकाया फैमिली पेंशन देने के आदेश देते हुए रेलवे पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

कालवाड़ सरकारी कॉलेज में सेशन शुरू

जयपुर। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एक बार फिर अपना वादा निभाया है, जिससे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्रवासियों में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रयास रंग लाए हैं और कालवाड़ में सरकारी कॉलेज में प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बाद अब सेशन शुरू हो चुका है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान बजट सत्र में कालवाड़ मे सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की था।

MJF College of Veterinary & Animal Sciences
Chomu, Jaipur, Rajasthan
Recognized by Govt. of India & VCI, New Delhi
Permanent Affiliated to RAJUVAS, Bikaner
No: MJFCVS/2024 Date:- 14 October 2024
REQUIREMENTS
Applications are invited for the various teaching positions **(Professor, Associate Professor, Assistant Professor)** vacant or likely to be vacant in different department of **VAN, VPB, LPM, VPP, AGB, VNN, VPH, VMC, LPT, VAHEE, VPA, VSR, VMD, VGO, VCC, LFC.**
The eligible candidate (As per VCI Norms) may submit their brief bio- data along with all the required documents as per - Form VI of VCI regulation through e-mail at **mjfcvs@gmail.com** or in person to the college office latest by **25 October 2024**
The retired Veterinary Professors having age less than 70 years may also apply.
Dean
9784128000 www.mjfveterinarycollege.org 9784126000

भाजपा में उपचुनाव की रणनीति तैयार, कांग्रेस के सामने सीट बचाने की चुनौती : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर वोट बैंक को साधने का काम करती है, जबकि कांग्रेस ने आज तक अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। जबकि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन तलाक को समाप्त कर अल्पसंख्यक बहनों के सम्मान की रक्षा की, तो दूसरी ओर करीबन 2 करोड़ से अधिक आवास अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दिए। ऐसे में एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अल्पसंख्यक वर्ग का कभी भला नहीं किया, लेकिन दुरूपयोग हमेशा ही किया।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, लेकिन भाजपा ने छेड़ा तक नहीं। कांग्रेस देश और समाज

- **'देश और समाज को तोड़ने वालों को जनता ने ठुकराया, उपचुनावों में नहीं चलेगा कांग्रेस का भ्रम'**
- **'कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक वर्ग का कभी नहीं किया भला, तुष्टिकरण की नीति अपनाकर किया दुरूपयोग'**

को तोड़ने का काम करती है, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो "सर्वे भवंतु सुखिने.." की भावना के साथ सभी के विकास और हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे है। ऐसे में समाज को तोड़ने वालों को अब जनता ठुकरा रही है। राजस्थान विधानसभा के बाद हरियाणा में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया तो जम्मू-कश्मीर में भी भाजपा का जनाधार बढ़ा है। ऐसे में अब प्रदेश के उपचुनावों में भी जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का कार्य करेगी। उपचुनाव कांग्रेस के लिए चुनौति है, कांग्रेसी नेताओं को अपनी सीट बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भाजपा कांग्रेस से उनकी सीट छीनेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ संगठन है, यहां उपचुनावों की पूरी तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय योजनाओं के साथ प्रदेश सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता उपचुनावों में भी कमल खिलाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने का काम किया तो रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल की रेट कम की, बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक की व्यवस्था में सुधार किया, सड़कों के लिए बजट, या यूं कहा जाए कि हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए कार्य किया है। ऐसे में भाजपा उपचुनावों की सभी सीटों भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी।

पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण किया

जयपुर। गुरुवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के बालानन्द के रास्ते में वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण एवं तत्कालीन सांसद रामचरण बोहरा के सांसद कोष से निर्मित विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सांसद बोहरा द्वारा विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए अपने सांसद कोष से 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जिसका लोकार्पण पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, वर्तमान सांसद मंजू शर्मा एवं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव ने किया। रामचरण बोहरा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलना हमेशा संभव है चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी रही हो। आज इस विद्यालय के भवन के नव निर्माण होने से यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलेगी शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान है हम शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करके ही विकसित भारत की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। इस दौरान पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, मंडल अध्यक्ष हेमंत चौहान, नंदकिशोर दंडोरिया, मनोज चौहान सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्र: एफ-52/DC/KPZ- / 2024/3520
सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक 17-10- 2024
श्री विनित भण्डारी पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र भण्डारी निवासी मकान नम्बर 71, भटटो की गली, पुरानी विधानसभा के सामने, चौकडी रामचन्द्र जी जयपुर ने किशनपोल जोन में उक्त भवन का पट्टे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भवन के संबंध में आवेदनकर्ता द्वारा हकत्याग पत्र /अपंजीकृत वसीयतनामा की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा चाहा है। इस सम्बन्ध में किसी संस्था अथवा अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय दस्तावेज प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित अवधि के समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही कि जावेगी।
उपायुक्त, किशनपाल जोन नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा आत्मज स्व. श्री प्रभूदयाल लाटा, निवासी-13, रामनाथपुरी, झोटवाडा, जयपुर का पुत्र निशान्त शर्मा मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है, जिसको मेरे अभिभाष्य ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा भविष्य में मेरे अभिभाष्य का अपने उक्त पुत्र से कोई भी सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं होगा।
जयपुर(राजस्थान) (विनय कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-14.10.2024 मो.नं. 9829344572

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम शीतल लढ्ढा से बदल कर शीतल लाहोटी पत्नी श्री अभिषेक लाहोटी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी एस-4, लालपुरिया गगन अपार्टमेन्ट, सेक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर-302039

मैं इंदिरा पत्नी देव करण सिंह खीचड़ निवासी एच-72, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर ने अपने पासपोर्ट (एम-3670548) में भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम इंदिरा देव से बदलकर इंदिरा कर लिया है।

मैं देव करण सिंह खीचड़ पुत्र श्री अमि लाल निवासी एच-72, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर ने अपने पासपोर्ट (एम-3104412) में भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम देव करण सिंह से बदलकर देव करण सिंह खीचड़ कर लिया है।

मैं, सजना देवी JC-332826A सूबेदार मेजर नरेश कुमार निवासी 62-बी, श्याम नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान) की माता हूँ। मेरे बेट के सेवा दस्तावेज में मेरा नाम सज्जना गलत दर्ज है। मेरा सही नाम सजना देवी है। शपथ पत्र संख्या QE 0017866721 Dt. 16.10.2024

न्यायालय तहसीलदार, तहसील, चौमूं जिला जयपुर
क्रमांक/आर.ए./2024/7046 दिनांक-16.10.2024
आपत्ति नोटिस सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में श्री ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरदयाल जाति पारीक निवासी ग्राम डोलाकाबास, तहसील चौमूं ने एक प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत किया है। मूलक खातेदार केशराराम पुत्र जोधराज जाति पारीक, निवासी ग्राम डोलाकाबास, तहसील चौमूं की खातेदारी भूमि ग्राम बावडी गोपीनाथ स्थित खसरा नम्बर 70 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का प्रार्थी वसीयत के आधार पर अपने हक में नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जैरकार है, जिसके संबंध में प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। अतः हर आम व खास एवं सम्पत्ति में हितबद्ध रखने वाले को पक्षकार को सूचित किया जाता है कि इसमें यदि किसी को भी कोई उज्र या आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में कार्य दिवस को व्यक्तिश अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी और विचाराधीन प्रकरण में निर्णय पारित कर पत्रावली निर्मित कर दी जावेगी। यह आपत्ति नोटिस आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांक से जारी किया गया है।
तहसीलदार (भू.अ.), तहसील चौमूं

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-4/2024/डी-1974 दि. 17.10.24
सार्वजनिक सूचना/वज्ञिप्ति
सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अजय रूंगटा पुत्र श्री रमेश चन्द्र रूंगटा के द्वारा जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 1 जय जवान कॉलोनी के भूखण्ड संख्या ए-47 की फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का सोसायटी द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 11.06.1990 को श्री बैजनाथ चाहर पुत्र श्री चुन्नीलाल जी क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज का जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री बैजनाथ चाहर पुत्र श्री चुन्नीलाल जी के द्वारा उक्त भूखण्ड का पंजीकृत इकरारनामा दिनांक 31.12.2001 के द्वारा श्री अजय रूंगटा पुत्र श्री आर.सी. रूंगटा को बेचान किया गया है। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का फ्रीहोल्ड लीजडीड जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

'आरोपी पति एक महीने में पेश नहीं हो तो पासपोर्ट और वीजा निरस्त कर विदेश से भारत डिपोर्ट करें'

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर द्वितीय ने जयपुर निवासी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस कार्रवाई में पति के अनुसंधान में सहयोग नहीं करने पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासपोर्ट, जयपुर को निर्देश दिया है कि वे सेन्ट्रल अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए आरोपी पति को कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देशित करें। यदि वह कोर्ट के निर्देश के पालन में सूचना मिलने से एक महीने में पेश नहीं हो तो उसके पासपोर्ट और वीजा को निरस्त कर उसे भारत डिपोर्ट करने की कार्रवाई करें। इस दौरान होने वाले खर्च को भी आरोपी खुद ही वहन करेगा। अदालत ने यह आदेश पत्नी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस कार्रवाई में पति के अनुसंधान में सहयोग नहीं करने पर सख्त निर्देश जारी किए**

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थिया ने मई 2024 में पति के खिलाफ पुलिस थाना महिला-उत्तर में दहेज प्रताड़नाएं, छेड़छाड़ व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसंधान में पति दीपक गिदवानी को दोषी मान लिया, लेकिन अनुसंधान एजेंसी के दिए नोटिस के बाद भी उसने ना तो अनुसंधान में सहयोग नहीं किया और ना ही कोर्ट में पेश हुआ। वह आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए अनुसंधान एजेंसी के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। इसलिए उसे कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया जाए। प्रार्थिया की शादी फरवरी, 2022 में अजमेर निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद वह उसे एक साल बाद विदेश ले गया, लेकिन सितंबर 2023 में ही उसे दहेज व मारपीट से प्रताड़ित कर वापस भिजवा दिया।

सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री बने सिंह पुत्र स्व. श्री टुण्डा राम, निवासी डी.डी.-74 पशुपतिनाथ कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर की पुत्री अंजलि धाकड़ जो बुरी संगत में है तथा काफी समय से परिवार से अलग अन्यत्र रह रही है एवं मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है। इन्हीं कारणों से मेरे अभिभाष्य ने अपनी पुत्री अंजलि धाकड़ को अपनी चल व अचल सम्पत्तियों व उत्तराधिकार के हक से तर्क कर बेदखल कर दिया है। अब अंजलि धाकड़ का मेरे अभिभाष्य व उसके परिवारजनों से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। भविष्य में अंजलि धाकड़ से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार, लेन-देन या अन्य कोई कार्य करेगा तो उन सबके प्रति वह स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरे अभिभाष्य व उसके परिवारजनों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(शहाबुद्दीन) एडवोकेट, मो. 9829180125, 7014455425

आम सूचना
मैं, साहिल बैंसला पुत्र श्री अंकुर बैंसला जाति गुर्जर उम्र करीबन 23 साल निवासी सी-2/32 अपना घर शालीमार अलवर तहसील व जिला अलवर (राज.) का हूँ शपथ पूर्वक बया करता हूँ कि समस्तजन को सूचित किया जाता है कि फर्म सिद्वार्थ बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन संख्या 28/13/2005 पता ग्राम व पा भेडोली जिला दौसा राजस्थान में भागीदार (1) अमित यादव पुत्र श्री राजवीर यादव (2) मनोज कुमार पुत्र श्री शेर सिंह ने अपनी मर्जी सो उक्त फर्म से दिनांक 27.07.2024 को इस्तीफा दे दिया है वर्तमान में उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में साहिल बैंसला, (2) कृष्ण कुमार यादव (3) भजन लाल (4) महिपाल सिंह (5) रमेश चन्द्र गुर्जर (6) लीलाराम शामिल हुऐ है किसी को कोई आपत्ति हो तो सम्बन्धित कार्यालय में एक सप्ताह में संपर्क करें। ह. प्रार्थी
साहिल बैंसला

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी
श्री सूवालालजी सैनी
(फूलबाड़ी) का स्वर्गवास 16.10.24 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 18.10.24 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक रूप पैलेस गार्डन, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- लक्ष्मीनारायण सैनी (मण्डल महामंत्री, आमेर शहर बीजेपी), श्रवणकुमार, कन्हैयालाल (पुत्र), घनश्याम, पवन, अजय, ओमप्रकाश, लेखराज, प्रिन्स (पौत्र), देवांश (प्रपौत्र) एवं समस्त गुणदिया परिवार आमेर (फूलबाड़ी)
9414532960, 9414344924
फर्मः- लक्ष्मीनारायण किराना स्टोर, कुण्डा, सैनी खाद बीज भण्डार कुण्डा, आमेर, गुणदिया बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड स्टील सप्लायर्स

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी
श्री भागीरथ जी सैनी
पुत्र स्व. श्री शंकरलाल जी लैहडक्या का स्वर्गवास 16.10.2024 को हो गया है। तीये की बैठक 18.10.2024 को सायं 4.00 से 5.00 बजे नगर निगम पार्क, गोलीमार सदन के पीछे, आमेर रोड, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- मिठूराम (चाचाजी), गुलाबचन्द, पूरणचन्द, खेमचन्द, मांगीलाल, जगदीश, गोरधन, महेन्द्र (भाई), नरेन्द्र, हेमराज (पुत्र), जानकीलाल, दुर्गालाल, पुष्पेन्द्र, अमृत, मनोहर, विशाल (भतीजे), युवराज, आदित्य, भव्य (पौत्र), पिकु (पौत्री) एवं समस्त लैहडक्या परिवार।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पी.एच.डी. छात्रा से छेड़छाड़ मामले में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सहित दो दोषमुक्त

जयपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने 13 साल पहले पीएचडी छात्रा से छेडछाड के मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर ऋषि सिंघल व सहायक प्रोफेसर सत्यनारायण डोलिया को संदेह लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपियों ने छात्रा को रोक उसका हाथ पकड कर लज्जा भंग की और उसके आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे बदनाम करने की धमकी दी। इसके अलावा छात्रा ने घटना के कई दिनों बाद रिपोर्ट दर्ज कराई और यह साबित नहीं हो पाया कि आरोपियों ने किस तरह उसके खिलाफ अपराध किया है।

गौरतलब है कि 27 जून 2011 को छात्रा ने गांधी नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ऋषि सिंघल के अंडर में पीएचडी शुरू की और अप्रैल 2010 से फिजिक्स लैब जाना शुरू कर दिया। वहां पर पेपर वर्क प्रोफेसर सिंघल के निर्देशन में होता था और सहायक प्रोफेसर एसएन डोलिया उसके गाइड थे। वह 24 फरवरी 2011 को जब प्रोफेसर सिंघल को अपनी बहन की शादी का कार्ड देने गई तो उन्होंने कहा कि उसका पेपर पब्लिश हो गया है, मिठाई खिलानी होगी। सिंघल ने उसका हाथ पकड कर कहा कि मिठाई एक किस होती है। वह वहां से भागी तो उसका रास्ता रोककर कहा कि पीएचडी करनी है तो यह सब नार्मल है, उसे साथ में सोना भी पडेगा। उन्होंने उसके साथ जबरन शारीरिक होने की कोशिश भी की। इस दौरान उसे सिंघल ने फोन पर बताया कि कोई उसके अश्लील फोटो व लेटर घर पर भेजकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में किसी अन्य कॉलेज की प्रिंसिपल को अश्लील फोटो व लेटर भेजे गए। प्रिंसिपल ने यह उसके भाई को बताया और इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

आधा दर्जन जिलों के सी.एम.एच.ओ.को मिलावटियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने दिवाली पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले बढने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही आयोग ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मिलावटियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और मिलावट रोकने के लिए आकस्मिक छापेमारी की कार्रवाई करें। आयोग ने इन अधिकारियों से मामले में की गई कार्रवाई की हर पन्द्रह दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश बेकरी उत्पादों में मिलावट के मामले में सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने खाद्य आयुक्त से जयपुर शहर और जिले में तैनात खाद्य निरीक्षकों और उन्हें आवंटित क्षेत्रों की समस्त जानकारी और मिलावट रोकने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा है। आयोग ने कहा कि मिलावट के मामलों को लेकर आयोग जल्दी ही खाद्य सुरक्षा आयुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक कर इस समस्या से निपटने के लिए विचार विमर्श करेगा।

जयपुर के सेशन कोर्ट में लगी न्याय की देवी की मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट में नई न्याय की देवी की मूर्ति लगी है जिसमें आँखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है व हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब है तो अब इन पुरानी मूर्तियों को भी हटाया जाएगा।

खोया पाया
मेरे मकान नं. 30/44/03, स्वर्ण पथ, मानसरोवर का मूल नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण-पत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें-ऊषा किरन कौल-मोबाईल-9829223587

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी, अभिषेक सिंह व प्रशांत सिंह की शामलाती जमीन ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 888, 889, 890 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर जो हमने पूर्व में खरीदी थी। जिसकी मूल रजिस्ट्री दिनांक 08.10.2024 को कहीं गिर गयी। उक्त रजिस्ट्री को काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली। किसी को मिले तो संपर्क करें-9414930969

आवास संख्या 14/27 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। संदीप मो. 9414787559

आवास संख्या 30/28/05 मानसरोवर जयपुर का कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। अंजना शर्मा मो.9785611611

मेरा मकान 164/283 का मूल नोड्यूज व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया। मिलने पर सम्पर्क-शकुन्तला शर्मा-8947944000

Manglam Build Developers Pvt. Ltd. की योजना Village-Hathoj Kalwad Road, Jaipur के भूखण्ड संख्या 1-115 मंगलम सिटी जयपुर का मूल सम्पूर्ण दस्तावेज साइड प्लान NOC कब्जा पत्र एवं रसीद कहीं खो गयी। मिलने पर सूचित करें वीरेन्द्र अग्रवाल 394, Surya Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur-9314017147

न्यायालय श्रीमान् मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (अपर जिला एवं सशन न्यायाधीश सं. 2) हिण्डौन सिटी 226/23.8.24
क्लेम याचिका सं. 56/2017
महेन्द्र सिंह बना